ग्राम पंचायत कुनिहार, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 **प्रस्तावना:—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच (5)—सी (15) एलएडी/2006—12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कुनिहार, विकास खण्ड कुनिहार, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:—

प्रधान

क्रम संख्या	प्रधान	अवधि
1	श्री कृष्ण दत्त	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्रीमती अरूणा ठाकुर	23.1.2016 से अद्यतन

सचिव

क्रम संख्या	पंचायत सचिव	अवधि
1	श्री तेज राम	01.04.2014 से 31.03.2017

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:—

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्रम सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	11.72
2	9 (i)	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.41
3	11 (i)	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	43.36
4	15 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	20.70

भाग–दो

2 ग्राम पंचायत कुनिहार के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय, कुनिहार में किया गया। लेखा परीक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 07/14, 02/16 व 03/17 तथा व्यय हेतु माह 07/14, 03/16 व 03/17 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्कः–**

ग्राम पंचायत कुनिहार के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक का अंकेक्षण ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 25 दिनांक 6.5.2017 द्वारा इस राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 **वित्तीय स्थितिः–**

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः–

(i) ग्राम पंचायत कुनिहार के स्व स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	196049.29	4195141	4391190.29	4417560	–26369.71
2015–16	–29369.71	5689322	5662952.29	5767475	–104522.71
2016–17	–104522.71	11047672	10943149.29	8972283	1970866.29

(परिशिष्ट "क")

नोटः– अन्तिम शेषों का (–) Minus होने का मुख्यकारण रोकड़ बही का सही रख–रखाव का न होता तथा बैंक खातों का समाधान विवरणी तैयार न करना है।

(ख) मनरेगाः–

ग्राम पंचायत कुनिहार के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	4433	308174.30	312607.30	309107.30	3500
2015–16	3500	857637.20	861137.20	857637.20	3500
2016–17	3500	2430664.56	2434164.56	2430664.56	3500

परिशिष्ट "क"

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अंवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी को तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹190463.11 का अन्तर दर्शाया गया था जिसका उचित समाधान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	शीर्ष	वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष	दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष	अन्तर (2–1)
1	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	1970866.29	2157829.40	186963.11
2	मनरेगा	3500	0	3500
			कुल योग	190463.11

दिनांक 1.4.2014 को आरम्भिक शेषों का विवरण (तुलन पत्र 31.3.14 के अनुसार)

शीर्ष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	राशि/शेष
सामान्य	JCC Bank Kunihaar	1019/1551	24147
	-do-	2357/0190	152905
	-do-	33	5798
	-do-	बन्धक खाता	8500
	Post Office Kunihaar	--	3091.29
	SBOP Kunihaar	---	234
	-do-	4083	906
-do-	Cash in hand	--	468
		Total	**196049.29**
मनरेगा	JCC Bank kunihaar	3973	4433
	हस्तगत शेष		शून्य

दिनांक 31.3.17 को अन्तिम शेषों का विवरण

शीर्ष	बैंक/डाकघर का नाम	खाता सं0	राशि/शेष
सामान्य	JCCB Kunihaar	1019/1551	15560.61
	-do-	235710190	2123739.50
	-do-	33	5798
	-do-	बन्धक खाता	8500
	Post Office Kunihaar	....	3091.29
	SBOP Kunihaar	....	234
	-do-	4083	906
	Cash in hand		शून्य
		Total	**2157829.40**
मनरेगा	JCCB Kunihaar	3973/041	शून्य
	हस्तगत शेष		शून्य

नोटः— दिनांक 31.3.2017 को बैंकों में अन्तिम शेष पंचायत सचिव द्वारा प्रमाणित

6 बैंक तथा डाक घर खातों में दिनांक 31.3.2017 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः—

कंई बार आग्रह करने के पश्चात भी निम्नलिखित बैंकों/डाक घर में दिनांक 31.3.2017 को उनमें जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र बैंकों से प्राप्त करके अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। इस कारण इन खातों में दिनांक 31.3.2017 को दर्शाए गए

शेषों के सही होने सम्बन्धी पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

बैंक का नाम	खाता संख्या	31.3.2017 को जमा राशि
बैंक कुनिहार	33	5798
बैंक कुनिहार	बन्धक खाता	8500
डाक खाना कुनिहार	–	3091.29
कुनिहार (SBOP)	–	234
कुनिहार (SBOP)	4083	906

7 रोकड़ बहियों सम्बन्धित अनियमितताओं बारे:–

(i) रोकड़ बही को नियमानुसार तैयार न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता "क" व खाता "ख") खोले जाने का प्रावधान है। खाता "क" में पंचायत के स्वः संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत में दो रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है तथा विभिन्न बैंकों/डाकघर में 7 खाते खोले गए है। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जाने बारे उचित स्पष्टरीकरण दिया जाये भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(ii) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारे:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अन्त में नियमानुसार प्रधान द्वारा नियमित रूप से प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। रोकड़ बही में कई प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया था, कटिंगस की गई थी तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही में रसीदों की प्रविष्टि क्रमवार नहीं की जा रही थी। रोकड़ बही में कटिंग्स भी की गई थी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (1, 2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से किया जाए।

(iii) दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (सामान्य) में आय तथा व्यय का योग क्रमशः ₹5060530 तथा ₹5059390 दर्शाया गया था। जिस कारण दोनों ओर के योग में ₹1140

का अन्तर था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iv) दिनांक 26.3.17 को रोकड़ बही (मनरेगा) में ₹11560 (मस्टर रोल संख्या 2459) का भुगतान दर्शाया गया था परन्तु मस्टर रोल की गणना अनुसार भुगतान ₹14110 बनता था। अतः स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 अनुदानः—

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹11.72 लाख का उपयोग न करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹1171978.91 शेष दर्शाई गई थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः—

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्विन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कार्यों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों

G.P. Kunihaar

का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव तथा नियमित रूप से **Update** किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की वसूली सम्बन्धी अनियमितताएं:—

(i) पंचायत राजस्व (गृहकर) ₹0.41 लाख का वसूली न करना:—

(i) ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹41020 राजस्व (गृहकर) की कम वसूली की थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹41020 की वसूली करके अनुपालना से आगामी पर अवगत करवाया जाए।

वित्त वर्ष	परिवारों की सं0	गृहकर का निर्धारित रेट (वार्षिक)	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बकाया	कुल योग	वर्ष के दौरान प्राप्ति	बकाया गृहकर
2014—15	628	20	——	12560	12560	0	12560
2015—16	697	20	12560	13940	26500	0	26500
2016—17	726	20	26500	14520	41020	0	41020

(ii) ग्राम पंचायत द्वारा न तो दिनांक 1.4.2014 को गृह कर तथा मोबाईल टावर्स (BSNL तथा AIRTEL) की वसूली हेतु शेष बकाया राशि से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर मांग एवं प्राप्ति अभिलेख प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त गृहकर तथा माबाईल टावर्स के किराए के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं करवाए गए। जिस कारण दिनांक 01.04.14 तथा 31.3.2017 को इन मदों के अन्तर्गत वसूली हेतु शेष बकाया राशि के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वाँछित अभिलेख नियमित रूप से पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाये।

10 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएं:—

ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट "ग" द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई:—

(i) पंचायत सचिव द्वारा **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा क्रम संख्या 2 तथा 3 (माह 03/17) में दर्शाए गए निर्माण कार्यों का

भुगतान बिना कार्यों के माप (**Measurement**) लिए तथा माप पुस्तिका में मापों की प्रविष्टियाँ किये बिना ही कर दिया गया था। क्रम संख्या 3 पर दर्शाए गए निर्माण कार्य की तो सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति भी नहीं की गई थी। यह भी प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा क्रम संख्या 1 (माह 03/16) पर दर्शाए गए निर्माण कार्य का भुगतान भी बिना मूल्यांकन (Assesment) बिना कार्य के माप एवं माप पुस्तिका में मापों की प्रविष्टियों के किये बिना ही कर दिया गया था। उपरोक्त अनियमितताओं के कारण क्रम संख्या 2, 3 (माह 03/17) तथा क्रम संख्या 1 (माह 03/16) में दर्शाए गए निर्माण कार्यों हेतु ₹2200000 (2000000+100000+100000) का किया गया भुगतान अनियमित है। अतः इस अनियमितता/भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त भुगतान की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

परिशिष्ट " ग" के अनुसार	**निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनकी प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति नहीं दर्शाई गई**	**निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनकी तकनीकी स्वीकृति नहीं दर्शाई गई**	**निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनके प्राक्कलन नहीं दर्शाए गए**	**निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनकी सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाइ गई**
माह 07/14 (निर्माण कार्य क्रम संख्या 1 से 8)	क्रम संख्या 7 की	क्रम संख्या 1 से 8 की	क्रम संख्या 1 से 8 का	——
माह 03/16 (निर्माण कार्य क्रम संख्या 1 से 6)	क्रम संख्या 1 से 3 की	क्रम संख्या 1 से 3 की	क्रम संख्या 1 से 3 का	——
माह 03/16 (निर्माण कार्य क्रम संख्या 1 से 6)	क्रम संख्या 4 से 5 की	क्रम संख्या 4 से 6 की	क्रम संख्या 1 से 3 का	क्रम संख्या 1 तथा 6 की
माह 03/17 (निर्माण कार्य क्रम संख्या 1 से 3)	क्रम संख्या 1 से 3 की	क्रम संख्या 1 से 3 की	क्रम संख्या 1 से 3 की	क्रम संख्या 1 से 3 की

(ii) (ख) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित निर्माण कार्यों की प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृतियाँ, प्राक्कलन/आंकलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई:—

रोकड़ बही	पृ०सं०	माह	कार्य का नाम
स्वः स्त्रोत तथा अनुदान	128	07/14	निर्माण पक्का रास्ता भोरला तक
	127	07/14	निर्माण पक्का रास्ता प्रताप के घर से शेर सिंह

	76	03/17	रख रखाव बावड़ी भारिव
	76	03/17	रन्थावा में पेयजल
मनरेगा	11	03/17	निर्माण रास्ता बटीऊ से खनोल

अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाए जाने सुनिश्चित किये जाए।

(iii) कई बार आग्रह के पश्चात भी **परिशिष्ट "ग"** में दर्शाए गए मनरेगा से सम्बन्धित निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। साथ ही सम्बन्धित माप पुस्तिका भी प्रस्तुत नहीं की गई। जिस कारण इस सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इन निर्माण कार्यों का भुगतान माप पुस्तिका में निर्माण कार्यों की माप सम्बन्धी प्रविष्टियाँ किये बिना ही कर दिया गया हो जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निर्माण कार्यों पर आये व्यय सम्बन्धी जानकारी, इनके प्राक्कलन/तकनीकी स्वीकृतियाँ तथा सम्बन्धित माप पुस्तिका सहित आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(iv) खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी कार्य स्वीकृति आदेश (पृष्ठांकन) संख्या के0बी0 (MGNERGA) स्वीकृति–2016–17–2509–11 दिनांक 02.12.16 में निर्माण कार्य "चैक डेम थावना (6 नं0)" हेतु ₹100000 स्वीकृत किये गये थे जबकि **परिशिष्ट "ग"** में स्वीकृत ₹2000000 दर्शाई गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये।

(v) परिशिष्ट "ग" की क्रम संख्या 3 (माह 07/14) पर दर्शाए गए निर्माण कार्य की माप पुस्तिका (संख्या 7504, पृष्ठ संख्या 21) में माप सम्बन्धी प्रविष्टियों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि मद (Iteam) "Providing C:C 1:3:6" हेतु निम्नानुसार ₹1350 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹1350 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

माप पुस्तिका के अनुसार माप	माप पुस्तिका के अनुसार किया गया भुगतान	मद का वास्तविक माप	जितना वास्तविक भुगतान बनता था	अधिक भुगतान
5-40 cubm	3373((5.40 cubmx432.25)-15%+70%)	3.24 cubm	2023 (3.24 cubmx432.25-15%+70%	1350

(vi) परिशिष्ट "ग" की क्रम संख्या 6 (माह 07/14) पर दर्शाए गए निर्माण कार्य की माप पुस्तिका (संख्या 7504) में निर्माण कार्य पर 78 सीमेंट बोरी की खपत दर्शाई गई थी परन्तु स्टोर/स्टॉक रजिस्टर (निर्माण सामग्रियाँ) की पृष्ठ संख्या 29 के अनुसार इस निर्माण कार्य

हेतु केवल 39 बैग जारी दर्शाए गए थे। इस प्रकार किया गया कार्य निम्न स्तर (Below Specifications) है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

(vii) परिशिष्ट "ग" की कम संख्या 4 तथा 5 (माह 07/14) पर दर्शाए गए निर्माण कार्यों हेतु माप पुस्तिका (संख्या 7504) में 10 सीमेंट बोरी 40 किलो एंगल तथा **GI Plane** 10 **piece** की खपत दर्शाई गई थी। परन्तु माप पुस्तिका में ऐसे मदों **(Iteams)** जिसमें सीमेंट, एंगल तथा **GI Pane** खपत हुई हो का निष्पादन **(execution)** तथा उनकी माप सम्बन्धी प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई थी। बिना माप प्रविष्टियों के इन वस्तुओं की माप पुस्तिका में दर्शाई गई उपरोक्त मात्राओं की खपत को सही नहीं माना जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(viii) इसके अतिरिक्त माप पुस्तकों में सामग्री उपयोग विवरणी **(Material Cunsumption Statement)** नहीं बनाई जा रही थी। भविष्य में माप पुस्तिका में सामग्री उपयोग विरणी **(Material Cunsumption Statement)** बनानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में उपयोग की गई निर्माण सामग्रियों के नियमानुसार पूर्ण तथा सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

(ix) यह भी पाया गया कि माप पुस्तिका (7504) में कई निर्माण कार्यों के आरम्भ तथा समाप्ति होने की तिथियों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त अनियमितताएं (i से v से ix) केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है अन्य माहों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः भविष्य में पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

11 **क्रय सम्बन्धी अनियमितताएं:—**

(i) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹43.36 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार ₹4336433 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। जिन कुछ प्रकरणों में निविदायें **(Quotations)** प्राप्त की गई थी वे न तो **Diary** की गई थी तथा न

G.P. Kunihaar

ही क्रय Sub committee (नियम (67 (3)) द्वारा सत्यापित की गई थी। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि यह निविदाएँ सीलबन्द भी नहीं थी जिस कारण निविदाएँ संग्रहण उपरान्त क्रय करने/कार्य करवाने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ०सं०	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	03/17	69	50000	स्टील
		70	9000	रेत
		71	58414	रोडी
		73	49985	स्टील की छत
			13000	ईंटें
		74	50000	शेटरिंग का किराया
			20000	यथोपरि
		75	70000	यथोपरि
		76	57500	ईंटें
			25900	रेत, पत्थर, केरिज आदि
			75000	रेत, रोडी पत्थर आदि
			29000	—यथोपरि—
		77	100000	पम्प, पाईप आदि
			100000	ट्रैक्टर का किराया
			823499	रेत, बजरी, सीमेंट आदि
		78	379141	रेत, बजरी, शेटरिंग आदि
			14036	ईंटें
	07/14	123	3000	जलपान
			50000	रेत, बजरी, ईंटें पत्थर आदि
			2780	पत्थर
		125	78500	एंगल ईंटें **GI Sheets** आदि
			171500	सीमेंट, रेत, बजरी आदि
		127	10000	रेत, बजरी, पत्थर आदि
			15125	एंगल, ईंटें **GI Sheets** आदि
		128	40000	रेत, बजरी, सीमेंट आदि
			98000	एंगल, पाईप, रेत, बजरी आदि

			49000	एंगल GI Sheets आदि
			13000	रेत, बजरी आदि
			49000	रेत, बजरी, पत्थर आदि
			13000	रेत, बजरी आदि
		129	49000	रेत, बजरी, पत्थर आदि
			22000	एंगल, ईंटें GI Sheets आदि
			24500	एंगल GI Sheets आदि
			67500	रेत, बजरी, सीमेंट आदि
			41500	रेत, बजरी, सीमेंट आदि
		130	30000	रेत, सीमेंट ईंटें आदि
			30000	रेत, पत्थर आदि
	03/16	07	150000	बजरी
		08	28000	रेत
			40000	रेत
		09	160000	बजरी
		11	525479	बजरी
		12	8000	सफाई कर्मचारी का वेतन
			50000	रेत, रोडी, पत्थर आदि
		13	8000	सफाई कर्मचारी का वेतन
			180000	बजरी
मनरेगा	03/17	12	167500	रेत, बजरी
			85500	रेत, बजरी
			152074	स्टील
		कुल योग	**4336433**	

(ii) जेसीबी चार्जिज के रूप में ₹1.12 लाख का अनियमित भुगतान करना:–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु जे0सी0बी0 के इस्तेमाल के एवज में निम्नानुसार ₹111786 का भुगतान निम्नलिखित ठेकेदारों को किया गया था। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5) के अन्तर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार ₹1000 तथा ₹50000 से अधिक के भुगतान/क्रय के लिये क्रमशः कोटेशन्स (Quotations) तथा निविदाएँ (Tenders) आमन्त्रित की जानी अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया गया कि JCB किराए पर लिए जाने हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ प्राप्त/आमन्त्रित ही नहीं की गई थी जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त जेसीबी से करवाए गए निम्नलिखित कार्यों की सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा माप उपरान्त माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियाँ भी नहीं दर्शाई गई जिसकी अनुपस्थिति में जेसीबी0 चार्जिज का किया गया भुगतान उचित व तर्कसंगत था इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः नियमानुसार कोटेशन्स/निविदाएँ प्राप्त/आमन्त्रित न

किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। साथ में सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में निर्माण कार्यों की प्रविष्टियाँ तथा इन कार्यों हेतु सक्षम प्राधिकारी की प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृतियाँ भी दर्शाए जाए। भविष्य में कार्य करवाते समय सम्बन्धित नियमों में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	ठेकेदार का नाम	राशि (₹)	बिल की कुल राशि
स्व:स्त्रोत तथा अनुदान	03/17	71	BR Thakur, Arki Solan	14614	30030
			Lalit Mohan Thakur, Arki Solan	21586	80250
		78	—यथोपरि—	75586	—
			कुल योग	**111786**	

'**(ख)** उपरोक्त के अतिरिक्त संविदाकारों को भुगतान करने से पूर्व निम्नलिखित वैधानिक कटौतियाँ भी नहीं की गई थी जिस कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई थी:—

(i) आयकर 2%

(ii) सेल्स टैक्स 3%

(iii) प्रत्यर्पणीय प्रतिभूति राशि 10%

(iv) लेबर सैस 1%

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बन्धित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। नियमानुसार सभी वैधानिक कटौतियाँ करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करना:—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय की गई सामग्री तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान की एवज में पावतियाँ प्राप्त नहीं की गई थी। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

G.P. Kunihaar

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	03/17	70	9000	रेत
		72	49288	ईंटें
		73	825000	BDO कार्यालय में राशि जमा
		74	50000	शटरिंग का किराया
			20000	यथोपरि
		75	70000	यथोपरि
		76	57500	ईंटें
			25900	रेत, पत्थर, केरिज
			75000	रेत, रोडी पत्थर
			29000	रेत, रोडी पत्थर
			—	—
	07/14	123	2780	पत्थर
	03/16	10	47640	सीमेंट
		14	666	ज्योति टी स्टाल द्वारा ₹2000 की रसीद दी गई थी परन्तु भुगतान ₹666 किया गया था स्थिति स्पष्ट की जाए।

13 ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई ₹0.70 लाख के स्वीकृति पत्र तथा <u>उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करना</u>:–

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को आवास योजना (IAY) के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹70500 जारी की गई थी परन्तु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवास निर्माण कार्य हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा कार्य की समाप्ति के पश्चात जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृ0सं0	माह	राशि (₹)
स्वः स्त्रोत तथा अनुदान	127	07/14	15500
	11	03/16	55000
		कुल योग	70500

14 **₹890 का अधिक भुगतान करना:–**

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि गलत गणनाओं के कारण ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार ₹890 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹890 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	किया गया भुगतान	जितना भुगतान बनता था	अधिक भुगतान	टिप्पणी/विवरण
सामान्य	03/17	77	97776	97096	700	मस्टर रोल सं0 2172
		78	101576	101396	180	मस्टर रोल सं0 2176
		70 तथा 71	85386 (50000+35386)	85376	10	मस्टर रोल सं0 2167
			कुल योग		890	

15 **स्टोर/स्टॉक:–**

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना:–

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) ₹20.70 लाख की क्रय की मदों की स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित ₹2069910 की क्रय की गई विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई मदों की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसके कारण अंकेक्षण के दौरान इनकी खपत की जांच की

जा सकी। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताऐं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	03/17	73	49985	छत्त/चादर
		76	75000	रेत, रोडी, स्टोन तथा दरवाजे
		76	100000	पम्प, पाईप आदि
		76	29000	रेत, बजरी, पत्थर
		77	823499	रेत, बजरी, सीमेंट आदि
		78	379141	रेत, बजरी आदि
		78	14036	ईंटें
	03/16	10	46599	लाईट
	07/14	129	49000	बजरी, स्टोन आदि
मनरेगा	03/17	12	49288	सीमेंट
			49288	सीमेंट
			167500	रेत, रोडी आदि
			85500	रेत, रोडी आदि
			152074	स्टील
		कुल योग	2069910	

(iii) स्टोक/स्टॉक रजिस्टर के रख रखाव बारे:–

स्टॉक सामग्री रजिस्टर (प्रारूप–6)में सीमेंट की प्राप्तियों तथा निर्माण कार्यों को जारी करने सम्बन्धी कई प्रविष्टियों (पृष्ठ संख्या 39, 37, 40, 41, 43, 45 तथा 46) का सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्तम्भ (10) में सत्यापन नहीं किया गया था जबकि निर्माण सामग्री की प्रत्येक प्राप्ति तथा जारी से सम्बन्धित प्रविष्टि का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त स्टॉक सामग्री रजिस्टर में निर्माण सामग्रियाँ

सीधे निर्माण कार्यों को जारी दर्शा दी गई थी। स्टॉक रजिस्टर के स्तम्भ 9 में इन निर्माण सामग्रियों के प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं थे जिसे विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु यह सामग्रियाँ जारी की गई होगी जोकि अनियमित है। स्पष्टतया रजिस्टर के रख रखाव सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 इनके सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

16 **विविधः—**

(i) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। रसीद बुकों का प्रयोग भी क्रमानुसार नहीं किया जा रहा था। अंकेक्षण के दौरान रसीद बुक रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण रसीद बुकों की प्रविष्टियों तथा उनके शेषों सम्बन्धी पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सावधि निवेशः—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। लेकिन यह प्रतीत होता हो कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

(iii) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमिताओं बारेः—

(क) मनरेगा से सम्बन्धित मस्टर रोल्स जारी रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण माह 03/17 में जारी किये गये मस्टर रोल की जारी के (issue) प्रविष्टियों की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा मस्टर रोल रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

G.P. Kunihaar

(ख) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कई प्रकरणों में निर्माण समिति/**Village monitoring committee (vmc)** द्वारा निर्माण कार्यों का सत्यापन नहीं किया गया था तथा कई मस्टर रोल्स पर आवश्यक सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा गया था। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति में न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(iv) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करना:–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पचांयत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(v) बजट आंकलन (Budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था। साथ ही बजट निर्धारित फार्म "11" पर नहीं बनाए गए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा तथा भविष्य में बजट आंकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार/पारित करवाया जाना तथा विहित फार्म "11" पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारे:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य रजिस्टर, अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर रजिस्टर, माप पुस्तिका रजिस्टर, रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं कियें गये जिससे यह प्रतीत होता हैं कि इनका रख रखाव ही

G.P. Kunihaar

नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार/निर्देशानुसार रजिस्टर का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनको पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vii) ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान बारे:–

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 62 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य चौकीदार आदि को मासिक मानदेय का भुगतान किया जा रहा है परन्तु पदाधिकारियों/कर्मचारियों को देय मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बन्धित कोई भी दस्तोवज अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः मानदेय की सही राशि की पुष्टि हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलबध करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

(viii) अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे:–

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण आवश्यक पड़ताल सम्भव नहीं हो सकी। अतः आगामी अंकेक्षण पर निम्नलिखित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह /दिनांक	पृ0सं0	राशि	विवरण
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	03/17	72	65000	भुगतान सम्बन्धी वाउचर नहीं दर्शाया गया
	1.7.14	—	637	सम्बन्धित पास बुक में जमा सम्बन्धी
	9.7.14	—	9672	प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई
	31.7.14	—	5400	
	03/16	14	469	टेलीफोन बिल नहीं दर्शाया गया
			865	यथोपरि

(ख) एस0जी0आर0वाई0 से सम्बन्धित रोकड़ बही एवं वित्तीय स्थिति प्रस्तुत न करना:–

ग्राम पंचायत के तुलन पत्र वर्ष 2013–14 के अनुसार दिनांक 31.3.2014 को एस0जी0आर0वाई0 मद के अन्तर्गत बैंक खातों के शेष मिलाकर ₹904 (717+187) शेष थे। अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के बावजूद एस0जी0आर0वाई0 से सम्बन्धित रोकड़ बही,

— 48 —

बैंक पास बुक, वित्तीय स्थिति आदि अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान एस0जी0आर0वाई0 से सम्बन्धित आय व्यय की पड़ताल नहीं की जा सकी। जबकि एस0जी0आर0वाई0 की स्कीम वर्तमान में बन्द हो चुकी है परन्तु अंकेक्षण के दौरान दिनांक 31.3.2014 को अन्तिम शेष ₹904 की पुष्टि नहीं की जा सकी।

17 **लघु आपत्ति विवरणिका:**— अलग से जारी नहीं की गई।

18 **निष्कर्ष:**— खातों मे सुधार की आवश्यकता है।

Rakesh Kalra

(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

15 DEC 2017

7217 – 7220

पृष्ठांकन संख्या:— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(iv) 21/2017—खण्ड—1 दिनाँक शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार तहसील अर्की, जिला सोलन, हि0प्र0
पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत कुनिहार विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

15 DEC 2017

Rakesh Kalra 15/12/17

(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0—0177 2620881

परिशिष्ट "क" (पैरा संख्या-4 (क) व (ख) के संबंध में) (21)

Gram Panchayat Kunihaar ,Development block Kunihaar, District Solan.					
Financial Position of Own souces and Various Grants from 01/04/2014 to 31/03/2017.					
Year	Opening balance (Rs.)	Reeceipt (Rs.)	Total (Rs.)	Payment(Rs.)	Closing balance(Rs.)
2014-15	196049.29	4195141	4391190.29	4417560	-26369.71
2015-16	-26369.71	5689322	5662952.29	5767475	-104522.71
2016-17	-104522.71	11047672	10943149.29	8972283	1970866.29
	Balance as per financial position as on 31/03/17= 1970866.29/- ----(1)				
	Balance as per Banks and cash in hand as on 31/03/17= 2157829.40/---------(2)				
	Difference in balances as per financial position and banks/cash in hand= 186963.11/ --- (2-1)				
Financial Position of Manrega from 01/04/2014 to 31/03/2017.					
Year	Opening balance (Rs.)	Reeceipt (Rs.)	Total (Rs.)	Payment(Rs.)	Closing balance(Rs.)
2014-15	4433	308174.3	312607.3	309107.3	3500
2015-16	3500	857637.2	861137.2	857637.2	3500
2016-17	3500	2430664.56	2434164.56	2430664.56	3500
	Balance as per financial position as on 31/03/17= 3500/- ------(1)				
	Balance as per Banks and cash in hand as on 31/03/17= nil--------- (2)				
	Difference in balances as per financial position and banks/cash in hand =3500/- --------(1-2)				

C/S

Secretary
Gram Panchayat Kunihar
Dev. Block Kunihar
Teh. Arki, Distt. Solan (H.P.)

परिशिष्ट "एक" (पैराग्राफ 8(1) के सन्दर्भ में) (22)

Detail of grants of gram panchya kunihar of development block kunihar, District Solan, HP from 04/2014 to 03/2017

	Year 2014/15					year 2015/16					year 2016/17				
of the grant	opening balance	receipt	Total	Payment	Closing balance	Opening balance	Receipt	Total	Payment	Closing Balance	Opening Balance	Receipt	Total	Payment	Closing Balance
CRF	-10700	150000	139300	207577	-68277	-68277	0	-68277	0	-68277	-68277	910000	841723	220000	621723
PMAGY	-252751	1402700	1149949	1754114	-604165	-604165	52400	-551765	535290	-1087055	-1087055	0	-1087055	0	-1087055
13FCZP	-59	554200	554141	617980	-63839	-63839	434140	370301	374008	-3707	-3707	0	-3707	0	-3707
TSC	20400	29000	49400	0	49400	49400	370700	420100	104638	315462	315462	262200	577662	15300	562362
5%DCP	-10032	777000	766968	776175	-9207	-9207	570000	560793	517330	43463	43463	727000	770463	580000	190463
SGSY	-29540	30000	460	0	460	460	0	460	0	460	460	0	460	0	460
GRDCA	6790	37000	43790	60050	-16260	-16260	0	-16260	0	-16260	-16260	0	-16260	0	-16260
NBA	0	300000	300000	200000	100000	100000	1300000	1400000	1606854	-206854	-206854	368000	161146	126890	34256
VKVNY	-18900	40000	21100	0	21100	21100	13400	34500	50000	-15500	-15500	90000	74500	0	74500
I.A.Y	141100	22500	163600	127500	36100	36100	112500	148600	45500	103100	103100	0	103100	0	103100
13 FC	225605	118000	343605	148472	195133	195133	100010	295143	50000	245143	245143	0	245143	0	245143
13 FC PS	9100	69200	78300	39031	39269	39269	301262	340531	198600	141931	141931	200000	341931	0	341931
VMJS	0	0	0	0	0	0	0	0	1620859	-1620859	-1620859	6654000	5033141	7247177	-2214036
14 FC	0	0	0	0	0	0	1048581	1048581	16000	1032581	1032581	1455356	2487937	546532	1941405
D.P.O SOLAN	-95756.17	0	-95756.17	0	-95756.17	-95756.17	650000	554243.83	387067	167176.83	167176.83	0	167176.8	0	167176.83
R.A.Y/AAY	19600	0	19600	0	19600	19600	77500	97100	55000	42100	42100	119500	161600	0	161600
MPLAD	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0
OTHERS	48917.08	0	48917.08	0	48917.08	48917.08	0	48917.08	0	48917.08	48917.08	0	48917.08	0	48917.08
Total	53773.91	3529600	3583373.91	3930899	-347525.09	-347525.09	5130493	4782967.9	5661146	-878178.09	-878178.09	10786056	9907878	8735899	1171978.91

Statement of grant has been prepaired as per receipt payment (RD) and Trial Balance of 2013-14 , ledger account will be updated accordingly.

Secretary
Gram Panchayat Kunihar
Dev. Block Kunihar
Teh. Arki Distt. Solan (H.P.)

परिशिष्ट "ग" (पैरा संख्या 10 के संदर्भ में)

Detail relating development work executed under various Grants by Gram Panchayat Kunihar, District Solan, Development Block H.P. In The Of Month 07-2014, 03-2016 And 03-2017 ...

S.R. No.	Name of work	Head of work	Estimated /Sanction Amount by Competent authority.	technicallySanctionamount by competent authoority	Sanction letter no./ Date	Total Expenditure Done On Work Till date.	Status of work	Assessed value of work till date by the competent technical authority.	M.B. No.	Page no. of M.B.
	07-2014				PL4/1-2/2014-79486 dt. 02/12/14					
1	C/O. Cow shed Gausadan Kunihar	5% DCP	125,000.00	125,000.00	PMAGY Solan	125000	Complete	125,319.00	PRD 7504	24-26.
2	C/O Pucca Patha Talab to Ranjeet Singh House...	PMAGY	50,000.00	50,000.00	2013-18-3-2013	50000	Complete	40,342.00	6820	96-97.
3	C/O Shed Dev Sathan Nagar ...	PMAGY	100,000.00	100,000.00	— do —	100000	Complete	118,060.00	7504	21-23
4	C/O. Pits Vill. Nagar.. /Dustbin	PMAGY	50,000.00	75,000.00	— do	75000	Complete	102,095.00	— do	82.
5	C/O. Dustbin Thawana....		25,000.00						— do	
6	C/O Pucca Path Saini Majra to Kotla	PMAGY	100,000.00	100,000.00	— do	100000	Complete	104,896.00	— do	79-80
7	C/o Community Toilet Near Talab (Thawna Ward).......	PMAGY	100,000.00	100,000.00	— do	100000	Complete	105,960.00	— do	72-75.
8	C/O Pucca Path Badru Ram House To Mandir	PMAGY	100,000.00	100,000.00	— do	100000	Complete	114,351.00	— do	05-07.
	3./2016..									
1	R/O. R.Wall Mandir parisar talab Kunihar	VMJS	2,000,000.00	2,000,000.00	VMJS. DR. P-2016-17	2000000	Complete	—	—	
2	C/O Drking Water Tank Uparli Behli ...	13th. F.C. (P.S.)	50,000.00		S/. DCP-PL4 2016	50000	Complete	—	7504	
3	C/O Drking Water Tank Uparli Behli ...	13th. F.C. (P.S.)	40,000.00	150,000.00	Dated 26.1.16	40000	Complete	153,062.00		82-84
4	Solar Light Nagar..	PMAGY	100,000.00	100,000.00	PMAGY. Solan. 2013. 16.5.13	100000	Complete		7504	
5	Solar Light Thawana..	PMAGY	100,000.00	100,000.00	— do —	100000	Complete	196,200.00	7504	81-82
6	C/O. Maharaja Padam Singh Memorial StadiumKunihar G.P. Kunihar...	5% DCP/VMJS.	5,000,000.00	5,000,000.00	PL4/1-3-2016 10840-20.3.17	5000000	Complete	5,000,000.00	7512	37-41
	03./2017..									
1	C/O. Maharaja Padam Singh Memorial StadiumKunihar G.P. Kunihar ...	5%DCP	500,000.00	500,000.00	— do —	500000	Complete	500,000.00	7512	41-46
2	C/O. Khoo In Vill. Khanol	14th. FC	100,000.00	100,000.00	PL4-14 FC D.P.O-2016.17	100000	Complete	114,589.00	Entery not done in MB	
3	DCP/2014/101, C/O. Beautifiction of Talaab G.P. Kunihar..	DCP 5%	100,000.00	100,000.00	— do —	100000	Complete	—	Entery not done in MB	
	MGNREGA									
1	Lad development Ram Chand S/O. Ghameri Ram Vill. Khaddi...	MGNREGA	100,000.00	100,000.00	1-2016-18.7.2016		Runing	95,540.00	—	—
2	C/O. cow shed Kuldeep S/O. Budhi ram V	MGNREGA	35,000.00	35,000.00	— do —		Runing	9,520.00	—	—
3	C/O. cow shed Krishan Chand S/O. Ram Dass Vill. Khanol..	MGNREGA	35,000.00	35,000.00	— do —		Runing	11,560.00	—	—
4	C/O. cow shed Ramesh S/O. Surat Ram Vill. Katal..	MGNREGA	35,000.00	35,000.00	1-2016 18.7.2016		Runing	10,200.00	—	—
5	C/O. Road Battiun to Khanol...	MGNREGA	500,000.00		— do —		Runing	188,360.00	—	—
6	C/O.Chek Dam Thawana no.5...	MGNREGA	2,000,000.00		— do —		Runing	613,240.50	—	—
	GRAND TOTAL		#######	8,905,000				7,603,295		

T-E has been prepared

T.A. Kunihar